P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-4* ISSUE-10* June- 2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका : गया जिला के लखनपुर ग्राम पंचायत के विशेष संदर्भ में

अंजनी कुमार सिन्हा
शोध छात्र,
राजनीति विज्ञान विभाग,
मगध विश्वविद्यालय,
बोधगया

सारांश

'सशक्तिकरण' से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिससे उसमें ये योग्यता आ जाती है जिससे वे अपने से जुड़े सभी निर्णय स्वयं कर सके। 'महिला सशक्तिकरण' भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक, सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों द्वारा महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान भी किए गए हैं। 73वीं संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को 1/3 सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के द्वारा बिहार के पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत तक का आरक्षण प्रदान किया गया है। सरकारी प्रयासों के साथ–साथ समाज एवं महिलाओं के स्वयं का सहयोग उन्हें सशक्त बनाने में मददगार होगा। जरूरत सिर्फ सभी के ईमानदारीपूर्वक प्रयास करने की है।

मुख्य शब्द : महिला सशक्तिकरण, पंचायती राज संस्था,

प्रस्तावना

'यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः' अर्थात् जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। यहाँ नारी को देवी के रूप में देखा गया है। भारत में स्त्रियों की दशा सदैव एक जैसी नहीं रही अपितु समय एवं काल के साथ परिवर्तन आते गए। किसी युग में नारी को सम्मान दिया गया तो कहीं उस पर अपमान, उत्पीड़न, अत्याचार एवं जुल्म की सारी हदें पार कर दी गईं। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाओं से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया जाता है। सशक्तिकरण की प्रक्रिया में समाज को पारंपरिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया जाता है, जिसने महिलाओं की स्थिति को सदैव कमतर माना है। वैश्विक स्तर पर नारीवादी आंदोलनों और यूएनडीपी आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने महिलाओं के सामाजिक समता, स्वतंत्रता और न्याय के राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिला सशक्तिकरण, भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक, सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है।

'महिला सशक्तिकरण' को समझने से पहले हमें 'सशक्तिकरण' को समझना होगा। 'सशक्तिकरण' से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिससे उसमें ये योग्यता आ जाती है जिससे वे अपने से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके। 'महिला सशक्तिकरण' के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है जहाँ वे परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों की निर्माता खुद बनती है। अपनी निजी स्वतंत्रता और स्वयं के फैसले लेने के लिए महिलाओं को अधिकार देना ही महिला सशक्तिकरण है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि 'महिला सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के विकास की प्रक्रिया में राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा महिलाओं को पुरुषों के बराबर मान्यता दी जाती है।'[1] लीला मीहेनडल के अनुसार महिला सशक्तिकरण – 'निडरता, सम्मान और जागरूकता तीनों शब्द महिला सशक्तिकरण में सहायक है। यदि डर से आजादी महिला सशक्तिकरण का पहला कदम है, तो तेजी से न्याय से उसकी आवश्यकता पूरी हो सकेगी। यदि महिलाओं को वास्तव में न्याय दिलाना है तो उनकी जाँच–परख प्रणाली को और अधिक कार्यकुशल बनाना होगा तथा अराजकता फैलाने वाले तत्वों को सजा देनी होगी।[2] परिवार, समाज एवं देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए महिला सशक्तिकरण बेहद जरूरी है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 27, 39(बी), 44 तथा 325 पुरुषों की तरह सभी क्षेत्रों में महिलाओं को बराबर का अधिकार प्रदान करता है।[3] साथ ही संविधान में महिलाओं के विशेष परिस्थिति के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस दिशा में महिला और बाल विकास विभाग नित्य नए कार्य को आगे बढ़ा रहा है। महिलाओं के विकास के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें मजबूत, जागरूक और चौकन्ना रहने का अवसर दिया जाय। महिलाएँ अगर शिक्षित, स्वस्थ और सबल होगीं, तो निश्चित रूप से देश सशक्त होगा।

विकास की मुख्यधारा में महिलाओं को लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई योजनाएँ संचालित हैं तथा संविधान के प्रावधानों के अनुसार भी उन्हें बराबरी का दर्जा प्राप्त है। आबादी के दृष्टि से भी वे सिक्के के दूसरे पहलू के रूप में जाने जाते हैं। अतः पुरुषों के समान अधिकार, वो भी व्यावहारिक रूप से, उन्हें प्राप्त कराना हितकर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला लिंगानुपात और महिला शिक्षा दोनों में बढ़ोतरी हुई है जो इसके सशक्तिकरण की दिशा में सहायक है।[4] विश्व लिंग गैप सूचकांक के अनुसार, आर्थिक भागीदारी, उच्च शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के द्वारा समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए भारत में कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि 'लोगों को जगाने के लिए' महिलाओं का जागृत होना जरूरी है। एक बार जब वो अपना कदम उठा लेती हैं, परिवार आगे बढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकासोन्मुख होता है। महिलाओं की समस्याओं का उचित समाधान करने के लिए महिला आरक्षण बिल–108वाँ संविधान संशोधन का पास होना जरूरी है जो संसद में महिलाओं की 33 प्रतिशत हिस्सेदारी सुनिश्चित करता है। दूसरे क्षेत्रों में भी महिलाओं की भागीदारी के लिए कुछ प्रतिशत सीटों को आरक्षित करने का कार्य किया गया है। महिला को वास्तव में सशक्त करने के लिए ग्रामीण महिला की ओर रूख करना आवश्यक होगा क्योंकि भारत की बहुसंख्यक आबादी गाँवों में वास करती है। ग्रामीण महिलाओं को सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में बताना होगा तथा उसके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना होगा। महिला सशक्तिकरण को सफल बनाने के लिए नारी की महत्ता को सभी को बताना होगा तथा उसकी शिक्षा की समान व्यवस्था करनी होगी।

73वीं संविधान संशोधन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु एक सकारात्मक प्रयास किया गया है। इस संशोधन के माध्यम के पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के तहत महिलाओं को 50 प्रतिशत तक का आरक्षण महिला सहभागिता बढ़ाने हेतु प्राप्त है। इसके कारण महिलाओं की सहभागिता का प्रतिशत भी बढ़ा है जो इसके सशक्तता की गति को दिखलाता है। राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि से महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकास होता है। ग्रामीण महिलाओं की छिपी हुई प्रतिभा को आगे लाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के अन्तर्गत महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना आवश्यक है और इस दिशा में बिहार सरकार के प्रयास सराहनीय रहे हैं। ऐसा करना एक सार्थक एवं रचनात्मक प्रयास होगा जिससे एक सशक्त समाज की स्थापना होगी।

भारत के पुरुष प्रधान समाज में निर्णय लेने में अब महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है जो पूर्व में प्रचलन में नहीं था। महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में शामिल होने से वो सबल होगीं और सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ेगीं। इस दिशा में पंचायती राज संस्थाओं का विशेष योगदान होगा। आज महिलाओं द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में अपना प्रत्यक्ष योगदान दिया जा रहा है और जनहित के कार्य एवं जनहित के लिए अच्छे निर्णय उनके द्वारा लिए जा रहे हैं। किन्तु इनकी संख्या या प्रतिशतता बहुत कम है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि महिला के किसी निर्णय के पीछे किसी पुरुष का साथ होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते है कि महिला अपने परिवार के पुरुष सदस्यों की सहायता से शासन के कार्य एवं विकास के अन्य सारे कार्य सम्पन्न करवाती है। मुखिया आदि विभिन्न महत्वपूर्ण पंचायती राज संस्थाओं के पदों पर तैनात महिलाओं के स्थान पर उनके पिता, पति या भाई का हस्तक्षेप सहज रूप से दृष्टिगोचर होता है जिससे समाज में मुखियापिता, मुखियापति या मुखियाभाई आदि नामों का भी प्रचलन होने लगा है। किन्तु इसके कुछ अपवाद भी हैं। महिलाओं के द्वारा स्वयं भी निर्णय लेने की झलक दिखलाई पड़ती है, किन्तु फिर भी यह कहना ठीक होगा कि इसी प्रतिशतता बहुत कम या नगण्य है।

पंचायती राज व्यवस्था में अपनी क्रियात्मक भागीदारी के लिए महिलाओं को थोड़ा सजग और सशक्त होना पड़ेगा जिसकी नींव रखी जा चुकी है, बस उसे मंजिल तक पहुँचाने की आवश्यकता है। इसके लिए महिलाओं को समाज की दोषपूर्ण नीति जैसे–लिंगभेद, पुरुषसत्तात्मक वातावरण, दहेज, हिंसा, बलात्कार आदि का डटकर सामना करते हुए अपने आपको क्रियाशील रखना होगा। इसके लिए उसके स्वयं के प्रयास तथा सरकारी मदद भी सहायक होगें। महिलाओं को चाहिए कि वे स्वयंसेवी संगठन जैसी संस्थाओं का सदस्य बनें तथा सामाजिक विसंगतियों को दूर करने के लिए भी संगठित होकर प्रयास करें तो निश्चित रूप से उनका यह कदम उनको सशक्त बनने में मददगार होगा।[5]

बिहार राज्य के 38 जिलों में से एक–गया जिला जिसकी स्थापना 1865 में हुई थी, एक धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी के रूप में जाना जाता है जो 4976 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल संख्या 4391418 है जिसमें पुरुषों एवं महिलाओं की जनसंख्या क्रमशः 2266566 एवं 2124852 है। यहाँ की कुल साक्षरता दर 63.67 है जिसमें पुरुषों एवं महिलाओं का साक्षरता दर क्रमशः 73.31 एवं 53.34 है।[6] गया जिला में 24 प्रखण्ड कार्यालय स्थित है जिसके अंतर्गत कुल पंचायतों की संख्या 232 है।[7] यहाँ की 86.76 प्रतिशत आबादी गाँवों में निवास करती है जिसके कारण यहाँ पचायती राज व्यवस्था की भूमिका अहम हो जाती है।

यहाँ के पंचायत में महिलाओं की भूमिका भी काफी सराहनीय रही है और उसमें उत्तरोत्तर विकास भी हो रहा है।

गया जिला स्थित 24 प्रखण्डों में से एक प्रखण्ड मानपुर, जो जिला मुख्यालय से 4.1 किमी. की दूरी पर उत्तर–पश्चिम दिशा में स्थित है, के अन्तर्गत कुल 12 ग्राम पंचायत अवस्थित है। यहाँ की कुल जनसंख्या 148418 है जिसमें पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या क्रमशः 76700 एवं 717718 है। यहाँ की कुल साक्षरता दर 59.49 प्रतिशत है जिसमें पुरुषों एवं महिलाओं का साक्षरता दर 56.26 प्रतिशत एवं 40.12 प्रतिशत है।[8] यहाँ का लिंगानुपात 966 है जो राष्ट्रीय औसत 935 से अधिक है। मानपुर प्रखण्डान्तर्गत 12 ग्राम पंचायतों में एक अति महत्वपूर्ण ग्राम पंचायत लखनपुर ग्राम पंचायत है जहाँ की कुल जनसंख्या 14498 है जिसमें पुरुषों एवं महिलाओं की जनसंख्या क्रमशः 6017 एवं 5481 है।[9]

लखनपुर ग्राम पंचायत के सभी आठ ग्रामों से प्राप्त आँकड़े के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ग्राम लखनपुर, बुद्धगेरे एवं रसलपुर पंचायत के सबसे प्रमुख एवं विकसित ग्राम है जिसके पीछे शहर से नजदीक होना, साक्षरता का प्रतिशत उच्च होना एवं जागरूकता का प्रचार–प्रसार होना, प्रमुख कारण है। वहीं ग्राम हरली की साक्षरता दर भी बहुत अच्छी है। यहाँ यह पाया गया है कि अनुसूचित जाति बहुलवाले गांव एवं शहर से थोड़े दूरी पर स्थित गाँवों का विकास थोड़ा प्रभावित हुआ है तथा वहाँ की साक्षरता भी कम पाई गई है जिसमें गौरा, वैजल तेतरिया, मसौथा खुर्द एवं मसौथा कला गाँव को रखा जा सकता है। विकास की गति तेज करने के लिए हमें आधी आबादी अर्थात महिला को साथ लेकर चलना होगा। इस ग्राम पंचायत में यह देखने को मिलता है कि महिलाएँ अपने अधिकार के लिए आगे आई हैं और पंचायत की प्रमख पदों पर विराजमान होकर अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन भी कर रही हैं। वार्ड सदस्य एवं पंच के आधे पदों पर वे काबिज हैं जबकि अन्य महत्वपूर्ण पदों जैसे सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद् आदि के लिए भी चुनाव मैदान में बराबर दिखाई पड़ती है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्द इस ग्राम पंचायत की महिलाएँ अपने–आपको सशक्त करने में कोई कोर–कसर नहीं छोड़ेंगी।

इस क्रम में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 तथा अद्यतन संशोधित को निरसित एवं प्रतिस्थापित करने हेतु बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 पारित किया गया जो सम्पूर्ण बिहार में सिवाय उन क्षेत्रों के जहाँ पटना नगर निगम अधिनियम, 1961 (बिहार अधिनियम XIII, 1952) या बिहार एवं उड़ीसा म्युनिसिपिल अधिनियम, 1922 (बिहार अधिनियम VII, 1922) या कैन्टोनमेंट अधिनियम, 1924 (अधिनियम II, 1924) के उपबंध लागू हैं।[10] इस अधिनियम के अनुसार महिलाओं के संबंध में आरक्षण की व्यवस्था निम्न प्रकार है

(1) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत (50%) के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएँगे।

(2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए जो स्थान आरक्षित नहीं किए गए हैं उनमें से पचास प्रतिशत (50%) के यथाशक्य निकटतम किन्तु उससे अनधिक स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएँगे।

इस प्रकार बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अंतर्गत महिलाओं को विभिन्न पदों के विरुद्ध 50 प्रतिशत का आरक्षण प्राप्त है।[11]

इतनी सारी व्यवस्थाओं के बाद भी लखनपुर ग्राम पंचायत की महिलाओं की कुछ समस्याएँ हैं जिनसे उनकी राजनीतिक सहभागिता प्रभावित होती है जैसे– महिला आबादी का प्रतिशत कम होना, महिला साक्षरता संतोषप्रद न होना, आरक्षित वर्गों में साक्षरता का प्रतिशत अधिक निम्न होना, लोक–लाज की रूढ़ीवादी व्यवस्था, जागरूकता का अभाव, सामाजिक कुरीतियाँ (यथा – बाल–विवाह, पितृ–सत्तात्मक वातावरण, लिंगभेद आदि।), सामाजिक भ्रष्टाचार (यथा–हीन भावना, छेड़छाड़, बलात्कार आदि) इत्यादि।

सशक्तिकरण की पूर्ण प्राप्ति हेतु कुछ आवश्यक सुझाव दिए जा सकते हैं जिनसे महिला सशक्तिकरण की गति में वृद्धि हो सकती है। जैसे – महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि, आर्थिक निर्भरता, साक्षरता का स्तर में वृद्धि, पुरुषों की मानसिकता में परिवर्तन, जागरूकता अभियान चलाकर, अधिकार एवं कर्त्तव्यों की जानकारी उपलब्ध कराकर उनको रूढ़ीवादी व्यवस्था से निकालते हुए सशक्त बनाया जा सकता है।

उपर्युक्त समाधान के उपरांत यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि महिला में पुरुषों से ज्यादा संवेदनशीलता एवं अपने कार्य के प्रति जिम्मेदारी होती है। उपर्युक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ही बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी द्वारा 22 जनवरी, 2015 को यह योजना पानीपत (हरियाणा) से लागू की गई। इस योजना के तहत महिला जनसंख्या के प्रतिशत को बढ़ाकर पुरुषों के बराबर करने की बात कही गई है। इसके लिए महिला भ्रुण हत्या पर अनिवार्य रूप से रोक लगाना होगा जिसमें उसकी माँ का भी सहयोग होता है। यहाँ पर माता–पिता दोनों को समझदारी दिखानी होगी और जनसंख्या में स्त्री–पुरुष के अनुपात को बराबर करके महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को पाया जा सकेगा। ग्राम पंचायत लखनपुर की महिलाओं की स्थिति भी करीब–करीब वैसी ही है और उपर्युक्त प्रयासों से लखनपुर ग्राम पंचायत की महिलाओं का भी सशक्तिकरण की दिशा में विकास होगा। यहाँ के लिंगानुपात एवं महिला साक्षरता को उच्च बनाना होगा। खासकर आरक्षित वर्गों की महिलाओं में अभियान चलाकर उन्हें शिक्षित एवं जागरूक करना होगा। इस प्रकार सशक्तिकरण की सफलता फलीभूत होगी।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत लेख का उद्देश्य 'महिला सशक्तिकरण' की व्याख्या करते हुए गया जिला के लखनपुर ग्राम पंचायत में महिलाओं की अद्यतन स्थिति एवं वर्तमान परिवेश में उनकी दशा एवं दिशा का आकलन करते हुए समाधान ढुँढ़ना है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए हैं और किए भी जा रहे हैं किन्तु समाज को भी अपने विचारों में परिवर्तन लाकर इस दिशा में कदम उठाने होगें। साथ ही महिलाओं को स्वयं भी इसके लिए बहुत प्रयास करने होगें क्योंकि वे ही इसके केन्द्रबिन्दु में हैं। यह भी निश्चित है कि जिस दिन भारत की सारी महिलाएँ इस ओर सम्मिलित प्रयास कर दीं तो उन्हें किसी बाधा को पार करने में देर भी नहीं लगेगी। जरूरत सिर्फ अथक प्रयास करने की है। सफलता अपने आप चली आती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *पैलिनीथूराई, जी., इण्डियन जनरल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,वो ग्स् टप्प् नं. 1, जनवरी–मार्च 2001, पृ. 39*
2. *मीहेनडल, लीला, अचीवमेन्ट एवं चैलेन्ज, योजना, अगस्त 2001, पृ. 56*
3. *कश्यप सुभाष, हमारा संविधान (भारत का संविधान और संवैधानिक विधि), राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, 2015, पृ. 75–133 एवं 258।*
4. *जनगणना, 2011*
5. *शर्मा विनय, पंचायती राज, रजत प्रकाश, नई दिल्ली, पृ. 194–196।*
6. *जनगणना, 2011*
7. *BrandBharat.com*
8. *जनगणना, 2011*
9. *जनगणना, 2011*
10. *बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006, पृ. 01।*
11. *बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006, पृ. विभिन्न।*